**e-Mail**

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

**स0सं0:– 03 / भू0अ0नि0(04) वि0सर्वे0–11 / 2023** 5757

प्रेषक,

**जय सिंह,** भा0प्र0से0
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

**समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,**
किशनगंज।
**बंदोबस्त पदाधिकारी,**
बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अररिया /
सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण / शिवहर /
बांका / शेखपुरा / सहरसा / कटिहार / पूर्णियाँ /
मुंगेर / नालंदा / खगड़िया / अरवल / मधेपुरा / जमुई।

पटना, दिनांक :- 12/07/2023

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत खानापुरी प्रक्रम में रैयतों के मध्य खानापुरी पर्चा वितरित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 एवं संशोधित नियमावली, 2019 के नियम–9 (7) में यह प्रावधानित है कि प्रपत्र–7 में खानापुरी पर्चा तैयार किये जाने के उपरांत तैयार पर्चा को रैयतों के बीच वितरित किया जाना है, जिसके अंतर्गत भू–नक्शा सॉफ्टवेयर के तहत् प्राप्त सुविधाओं के आलोक में रैयतों को उनकी भूमि के खेसरावार मानचित्र के रूप में एल0पी0एम0 भी खानापुरी पर्चा के साथ वितरित किया जा रहा है, जबकि एल0पी0एम0 वितरण की व्यवस्था बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के तहत् बाध्यकारी नहीं है।

वर्त्तमान समय में भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण एल0पी0एम0 निर्गमन का कार्य बाधित हो रहा है एवं जिन ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण हो गया है, वहां का एल0पी0एम0 एवं खानापुरी पर्चा वितरण का कार्य बाधित है जिस कारण खानापुरी पश्चात् सुनवाई की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पा रही है। ज्ञातव्य हो कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रक्रिया एक समयबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें सभी प्रक्रमों के कार्यों को लगभग एक वर्ष में पूरा किया जाना है। इस आलोक में एल0पी0एम0 के वितरण प्रक्रिया बाधित होने के कारण संपूर्ण कार्य को बाधित नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि खानापुरी पर्चा में वर्णित खेसरा के रकबा के आधार पर एल0पी0एम0 का वितरण रैयतों को अपने भू–खण्ड का आकार चौहद्दी के साथ भू–मापन हेतु उपलब्ध कराया जाता है तथा रकबा इत्यादि संबंधी अशुद्धता की स्थिति में रैयतों द्वारा दावा/आपत्ति समर्पित की जाती है, जबकि खेसरावार रकबा एवं अन्य विवरण खानापुरी पर्चा में भी अंकित रहता है। खानापुरी पर्चा के आधार पर रैयतों द्वारा रकबा इत्यादि संबंधी दावा/आपत्ति समर्पित की जा सकती है, जो विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम/नियमावली के अनुकूल है। ऐसी स्थिति में एल0पी0एम0 के अभाव में रैयतों को असुविधा नहीं होगी।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि जिन राजस्व ग्रामों के खानापुरी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, वहां केवल खानापुरी पर्चा का अविलंब वितरण कर विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया को बनाये रखा जाए एवं खानापुरी पर्चा वितरण कर रैयतों से दावा/आपत्ति प्राप्त करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। साथ ही भू–नक्शा सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याओं के निराकरण पश्चात् पूर्व की भाँति एल0पी0एम0 के साथ खानापुरी पर्चा वितरित किये जाने की व्यवस्था लागू रहेगी।

विश्वासभाजन

12/7/23

**(जय सिंह)**
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0सर्वे0–11 / 2023 5257 पटना, दिनांक 12/07/2023
प्रतिलिपि : सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0सर्वे0–11 / 2023 5257 पटना, दिनांक 12/07/2023
प्रतिलिपि : **प्रतिलिपि** :– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0सर्वे0–11 / 2023 5257 पटना, दिनांक 12/07/2023
प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0सर्वे0–11 / 2023 5257 पटना, दिनांक 12/07/2023
प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04) वि0सर्वे0–11 / 2023 5257 पटना, दिनांक 12/07/2023
**प्रतिलिपि** : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
12/7/23